प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम)

में नाम दर्ज करवाने का तरीका

स्कीम का ब्यौरा उसकी पात्रता और नाम दर्ज कराने का तरीका, सुविधा केन्द्र का स्थान/सीएससी स्थान एलआईसी की वेबसाइट और श्रम मंत्रालय की वेबसाइट पर मिलेंगे। स्कीम का फायदा उठाने वाले जिला श्रम कार्यालयों, एलआईसी कार्यालयों, केन्द्रीय श्रम कार्यालयों, ईपीएफ और ईएसआईसी कार्यालयों के सुविधा डेस्क पर जाएं।

फायदा उठाने की शर्तें-

- असंगठित कामगार हो
- जिनकी उम्र 18 और 40 वर्ष के बीच हो
- महीने की आमदनी 15000 रुपये या उससे कम हो

वह-

- ईपीएफ/एनपीएस/ईएसआईसी का सदस्य न हो
- इनकम टैक्स न देता/देती हो

उसके पास-

1. आधार कार्ड हो
2. आईएफएससी के साथ बचत बैंक खाता/जनधन खाता हो

नाम दर्ज कराने का तरीका

1. इच्छुक व्यक्ति नजदीकी सीएससी सेन्टर पर जाएं। सीएससी सेन्टर के स्थान का पता एलआईसी, श्रम मंत्रालय तथा सीएससी के वेबसाइट पर सूचना पृष्ठ से लगाया जा सकता है।
2. नाम दर्ज कराने के लिए सीएससी जाते समय, उसे अपने साथ ये चीजें ले जानी होंगी:
   क. आधार कार्ड
   ख. आईएफएससी कोड के साथ बचत/जनधन बैंक खाते का ब्यौरा (बैंक खाते की गवाही के लिए बैंक पासबुक या चैक पन्ना/बुक या बैंक स्टेटमेंट की कॉपी)
   ग. स्कीम के तहत नाम दर्ज कराने के लिए शुरूआती अंशदान की राशि
3. सीएससी में मौजूद गांव स्तर का उद्यमी (वीएलई) आधार नम्बर, आधार कार्ड पर छपा अंशदाता का नाम और आधार कार्ड में दी गई जन्म की तारीख डालेगा और उसकी जांच यूआईडीएआई डाटाबेस से की जाएगी।
4. बैंक खाते का ब्यौरा, मोबाइल नम्बर, यदि हो तो, ई-मेल आईडी, पति-पत्नी तथा नामिति जैसे और ब्यौरे लिए जाएंगे।

नाम दर्ज कराने का तरीका जारी.....

5. फायदा उठाने वाली शर्तों का स्वयं सार्टिफिकेट देना होगा।
6. सिस्टम अंशदाता की उम्र के हिसाब से दिए जाने वाले माह-वार अंशदान की गणना करेगा।
7. अंशदाता पहले अंशदान की रकम भी वीएलई को नकद में देगा जो अंशदाता को दी जाने वाली रसीद तैयार करेगा।
8. नाम दर्ज कराने का फर्म और ऑटो-डेबिट मैंडेट भी छापा जाएगा जिस पर अंशदाता साइन करेगा। तब वीएलई साइन किए गए नाम दर्ज एवं ऑटो डेबिट मैंडेट को स्केन करेगा और सिस्टम में अपलोड करेगा।
9. उसी समय, विशिष्ट श्रम योगी पेंशन खाता नम्बर तैयार होगा और सीएससी में श्रम योगी कार्ड छप जाएगा।
10. यह तरीका पूरा होने के साथ ही, अंशदाता के पास श्रम योगी कार्ड और अपने रिकार्ड के लिए नाम दर्ज कराने वाले फॉर्म की दस्तखत की हुई कॉपी होगी।
11. उसे ऑटो डेबिट चालू हो जाने पर हमेशा एसएमएस और श्रम योगी पेंशन खाते का ब्यौरा भी मिलता रहेगा।

नाम दर्ज कराने का तरीका एक नज़र में

फायदा उठाने वाले
(1) आधार कार्ड
(2) बचत/आईएफएससी
सहित जन धन खाता नम्बर के साथ सीएससी पहुंचते हैं

→ सीएससी फायदा उठाने वालों का नाम इलेक्ट्रानिक तरीके से सिस्टम पर दर्ज करेगा

→ माहवार अंशदान उम्र के हिसाब से अपने आप तय हो जाता है

फायदा उठाने वाले सीएससी को नकद में पहली किश्त का भुगतान करते हैं

→ सफल भुगतान के बाद, एक ऑनलाइन श्रम योगी पेंशन नम्बर तैयार होगा

→ फायदा उठाने वाले के साइन के लिए पावती एवं डेबिट मैंडेट तैयार होगा

सीएससी फायदा उठाने वाले के साइन किए गए डेबिट मैंडेट को स्कैन और अपलोड करेगा

→ सीएससी श्रम योगी कार्ड को छापेगा और उसे फायदा उठाने वाले को सौंपेगा

→ बैंक से पुष्टि होने के बाद, फायदा उठाने वालो का एसएमएस संदेश के साथ-साथ मैंडेट डेबिट चालू हो जाएगा

भविष्य में सभी स्तरों पर/बैंकों के लेन-देन में फायदा उठाने वालों को एसएमएस भेजा जाएगा

Process Flow – Enrolment in
Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan (PM-SYM)

Scheme details and scheme eligibility and process for enrolment, location of facilitation centres/CSC points will be available at LIC Website and MOLE website. Beneficiaries may visit facilitation desks at District Labour Offices, LIC offices, Central Labour offices, EPF and ESIC Offices

Eligibility Criteria

- Should be an unorganised worker
- Entry age between 18 and 40 years
- Monthly Income Rs 15000 or below

Should not be

- *engaged in Organized Sector or with membership of EPF/NPS/ESIC*
- *an income tax payer*

He/ She should possess

1. Aadhar card
2. Savings Bank Account / Jan Dhan account number with IFSC

Enrolment Process

1. Interested eligible person shall visit nearest CSC centre. Location of CSC centre can be ascertained from the information page on web sites of LIC of India, Ministry of Labour and Employment and CSC.
2. While going to CSC for enrolment, he shall carry with him the following :
   a. Aadhar Card
   b. Savings/Jan Dhan Bank Account details along with IFS Code (Bank Passbook or Cheque Leave/book or copy of bank statement as evidence of bank account)
   c. Initial contribution amount in cash for enrolment under the scheme
3. Village Level Entrepreneur (VLE) present at the CSC will key-in aadhar number, name of subscriber as printed on aadhar card and date of birth as given in aadhar card and the same will be verified with UIDAI database.
4. Further details like Bank Account details, Mobile Number, Email-id, if any, spouse and nominee details will be captured.
5. Self-certification for eligibility conditions will be done.
6. System will auto calculate monthly contribution payable according to age of the subscriber.

Enrolment Process continued …

7. Subscriber shall also pay the amount of 1st subscription in cash to the VLE who will generate receipt to be handed over to the subscriber.
8. Enrolment Form cum Auto Debit mandate will also be printed which will then be signed by the subscriber. VLE then shall scan the signed enrolment cum auto debit mandate and upload into the system.
9. At the same time, a unique Shram Yogi Pension Account Number will be generated and Shram Yogi Card will be printed at CSC
10. With completion of process, subscriber will be having with him Shram Yogi Card and signed copy of enrolment form for his record.
11. He will also receive regularly SMS on activation of auto debit and Shram Yogi Pension Account details.

Enrolment Process overview at a glance